

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarपालिकabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर- इन -काउंसिल की बैठक दिनांक 22.09.2017

प्रस्ताव क्रमांक-01

अधोसंरचना मद अन्तर्गत वार्ड क्र. 07 विश्व बैंक कॉलोनी में बी.टी.रोड निर्माण कार्य बाबत।

इस कार्यालय के पत्र क्र./2522/दिनांक -26.11.2016 द्वारा प्रस्ताव संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर को प्रेषित किया। संचालनालय के पत्र क्र./379 दिनांक -10.01.2017 द्वारा उक्त कार्य कराए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। राशि रु. 37.80 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रण की अनुमति हेतु आयुक्त/महापौर/MIC नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, द्वारा प्रदान की गई। अनुमति उपरान्त ई निविदा सिस्टम टेंडर नं. 20174दिनांक -22.07.2017 को आमंत्रित किया गया। ई निविदा में निम्नानुसार से दरें प्राप्त हुई।


क्र.	ठेकेदार का नाम	निविदा दर
1.	Abhay Kumar Kotaria	4.44 % Below S.O.R.
2.	Quality Constructions	12.86 % Below S.O.R.

ई निविदा में Ms. Quality Constructionsकी दरें 12.86%Below S.O.R.न्यूनतम प्राप्त हुई। निविदा एवं क्रय समिति की बैठक दिनांक -16.08.2017 को Ms. Quality Constructions न्यूनतम दर 12.86% Below S.O.R.एवं न्यूनतम दर पर व्यय राशि रु. 32,93,892.00 की वित्तीय स्वीकृति तथा राशि रु. 1,08,108.00 की अतिरिक्त सुरक्षा निधि जमा कराए जाने की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

अतएव Ms. Quality Constructions, Bhilaiकी प्रस्तुत निविदा दर 12.86% Below S.O.R.एवं कार्य पर होने वाले व्यय रु. 32,93,892.00 स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प -01

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई Ms. Quality Constructions, Bhilaiकी प्रस्तुत निविदा दर 12.86% Below S.O.R.एवं कार्य पर होने वाले व्यय राशि 32,93,892.00 रुपये की वित्तीय स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।


सचिव



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarपालिकabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

भेयर- इन -काउंसिल की बैठक दिनांक 22.09.2017

प्रस्ताव क्रमांक-02

अधोसंरचना मद अन्तर्गत वार्ड क्र. 18 सत्संग मंदिर से संजय कॉलोनी तक बी.टी. रोड निर्माण कार्य बाबत।

इस कार्यालय के पत्र क्र./2522/दिनांक -26.11.2016 द्वारा प्रस्ताव संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर को प्रेषित किया। संचालनालय के पत्र क्र./379 दिनांक -10.01.2017 द्वारा उक्त कार्य कराए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। राशि रु. 28.90लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रण की अनुमति हेतु आयुक्त/महापौर/MIC नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, द्वारा प्रदान की गई। अनुमति उपरान्त ई निविदा सिस्टम टेंडर नं. 20175दिनांक -22.07.2017 को आमंत्रित किया गया। ई निविदा में निम्नानुसार से दरें प्राप्त हुई।

क्र.	ठेकेदार का नाम	निविदा दर
1.	Abhay Kumar Kotaria	4.41 % Below S.O.R.
2.	Quality Constructions	12.86 % Below S.O.R.

ई निविदा में Ms. Quality Constructionsकी दरें 12.86%Below S.O.R.न्यूनतम प्राप्त हुई। निविदा एवं क्रय समिति की बैठक दिनांक -16.08.2017 को Ms. Quality Constructions न्यूनतम दर 12.86% Below S.O.R.एवं न्यूनतम दर पर व्यय राशि रु. 25,18,346.00 की वित्तीय स्वीकृति तथा राशि रु. 82,654.00 की अतिरिक्त सुरक्षा निधि जमा कराए जाने की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

अतएव Ms. Quality Constructions, Bhilaiकी प्रस्तुत निविदा दर 12.86% Below S.O.R.एवं कार्य पर होने वाले व्यय रु. 25,18,346.00 स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प -02

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई Ms. Quality Constructions, Bhilai की प्रस्तुत निविदा दर 12.86% Below S.O.R.एवं कार्य पर होने वाले व्यय राशि 25,18,346.00 रूपये की वित्तीय स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।


सचिव



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmohilaicharoda@gmail.com, www.nagarपालिकabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर- इन -काउंसिल की बैठक दिनांक 22.09.2017

प्रस्ताव क्रमांक-03

अधोसंरचना मद अन्तर्गत वार्ड क्र. 17 में वाचनालय (Library Building) निर्माण हेतु प्राप्त निविदा दर की स्वीकृति पर विचार एवं निर्णय।

संचालनालय के पत्र क्र./379 दिनांक -10.01.2017 द्वारा वाचनालय हेतु राशि 32.00 लाख रु. की स्वीकृति प्रदान की गई है। तदपश्चात् पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि 49.92लाख रु. की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व निविदा आमंत्रण की अनुमति हेतु MIC नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग (छ.ग.) के बैठक दिनांक -13.07.2017 के निर्णय क्र. 05द्वारा प्रदान की गई। जिसके तहत ई-निविदा सिस्टम टेंडर नं. 20186दिनांक -22.07.2017 को आमंत्रित किया गया। ई-निविदा में M/S A.S. Constrution, Durgकी प्राप्त दर 9.99% Below S.O.R. दर पर व्यय राशि रु. 44,92,808.00 न्यूनतम है। जिसकी स्वीकृति की अनुशांसा निविदा एवं क्रय समिति की बैठक दिनांक -26.08.2017 के निर्णय क्र. -04 द्वारा की गई है।

अतएव M/S A.S. Constrution, Durgकी प्रस्तुत निविदा दर 9.99% Below S.O.R.एवं कार्य पर होने वाले व्यय रु. 44,92,808.00 स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प -03

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई M/S A.S. Constrution, Durgकी प्रस्तुत निविदा दर 9.99% Below S.O.R.एवं कार्य पर होने वाले व्यय राशि 44,92,808.00 रूपय की वित्तीय स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।



सचिव


महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-वरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Email ID- cmab@bhaicharoda@gmail.com, www.nagarपालिकabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर- इन -काउंसिल की बैठक दिनांक 22.09.2017

प्रस्ताव क्रमांक-04

पार्षद निधि अंतर्गत उद्यान हेतु खेलकूद सामग्री/बेंच क्रय हेतु प्राप्त निविदा दरों की स्वीकृति पर विचार एवं निर्णय।

पार्षद निधि से उद्यान हेतु खेलकूद सामग्री/बेंच क्रय करने हेतु पार्षदगणों द्वारा अनुशंसा अनुसार 80.00 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रण की अनुमति एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 13.07.2017 के प्रस्ताव क्रमांक-08 के द्वारा प्रदान की गई। जिसके परिपालन में ई-निविदा सिस्टम टेंडर क्रमांक-20187 के तहत उद्यान सामग्री एवं बेंच क्रय करने हेतु निम्नानुसार फर्मों की दरें न्यूनतम हैं:-


- | | | |
|--|---|---------|
| 01. मेसर्स जय एसोसियेट इंडस्ट्रीज, छावनी भिलाई | - | 17 आयटम |
| 02. मेसर्स अंजली फाईब्रोटेक सिविल लाईन गोंदिया | - | 01 आयटम |
| 03. मेसर्स मल्टीपल सालूशन, वर्धमान नगर नागपुर | - | 09 आयटम |

उक्त प्राप्त न्यूनतम दरों की स्वीकृति की अनुशंसा निविदा समिति की बैठक दिनांक 26.08.2017 संकल्प क्रमांक- 03 के द्वारा की गई है।

अतएव ई-निविदा से प्राप्त न्यूनतम दरों की स्वीकृति एवं कुल राशि रुपये 80.00 लाख मात्र की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प -04

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्तनुसार ई-निविदा से प्राप्त न्यूनतम दरों की स्वीकृति एवं कुल राशि रुपये 80.00 लाख मात्र की वित्तीय स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।


सचिव


महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarपालिकabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर- इन -काउंसिल की बैठक दिनांक 22.09.2017

प्रस्ताव क्रमांक-05

निकाय के क्षेत्रांतर्गत निर्मित अटल एवं वाम्बे आवासों में अवैध कब्जारत व्यक्तियों को आबंटन के संबंध में।

निकाय क्षेत्रांतर्गत, अटल आवास योजना, श्याम नगर भिलाई-03, वाल्मिकी अम्बेडकर आवास घासीदास नगर, उमदा, बजरंग पारा और चरौदा भाटापारा में आवास निर्मित है। शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन पात्रताधारी हितग्राहियों को आबंटित किया जाना है। संलग्न सूची अनुसार अटल आवास श्याम नगर, वाम्बे आवास, घासीदास नगर भिलाई-03 एवं भाटापारा चरौदा के अधिकांश आवास आबंटित किये जा चुके हैं। रिक्त आवासों में कुछ लोग अवैध रूप से कब्जारत है। इसके अतिरिक्त वाम्बे आवास बजरंग पारा, भिलाई-03 एवं उमदा में संपूर्ण नवनिर्मित आवासों में अवैध कब्जाधारी निवासरत है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	योजना का नाम	निर्मित भवनों की संख्या	आबंटित भवनों की संख्या	रिक्त भवन जिसमें अवैध कब्जा है की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
01	अटल आवास योजना (पूनम टाकिज के पास भिलाई-03)	100	89	11	
02	वाम्बे आवास घासीदास नगर भिलाई-03	200	95	100	05 भवन रिक्त
03	वाम्बे आवास, बजरंग पारा भिलाई-03	100	निरंक	99	01 नग भवन में आंगनवाड़ी संचालित है।
04	वाम्बे आवास उमदा	50	निरंक	49	01 नग भवन में स्वास्थ्य सफाई विभागीय स्टोर
05	वाम्बे आवास, चरौदा भाटापारा	150	149	01	

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि, माननीय विभागीय मंत्री महोदय, के समीक्षा बैठक दिनांक 21 एवं 25 जुलाई 2016 के दिशा निर्देशों के कंडिका क्रमांक 10 के अनुसार यदि आवासों में अवैध कब्जाधारी है और पात्र हितग्राही में शामिल है तो उसे पात्रता घोषित कर आवास आबंटन करने के निर्देश दिये गये।

इन आवासों में कब्जारत लोगों का सर्वे कराने के पश्चात् दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया।

अतः प्रकरण मेयर इन काउंसिल में विचारार्थ प्रस्तुत।

1. एक वर्ष पूर्व किये गये सर्वे सूची का स्थल पर सत्यापन किया जावे इस सूची अनुसार उपलब्ध हितग्राहियों के 01 वर्ष पूर्व से संबंधित वार्ड मतदाता परिचय पत्र/आधार कार्ड होने पर ही आबंटन किया जावे।
2. उपरोक्त सर्वे सूची से भिन्न निवासरत होने/उपरोक्तानुसार पात्र न होने पर पृथक से सूची तैयारकर आगामी बैठक में रखा जावे।
3. लागत मूल्य का संपूर्ण राशि 01 वर्ष के अंदर 03 किस्तों में जमा कराई जावे।

द्वितीय चरण में अंकित कॉलम क्र-04 में जो पूर्व से आबंटित हितग्राहियों का उनके द्वारा ही निवास किये जाने का सत्यापन मय फोटोग्राफ सहित किया जावे:-

1. आबंटित हितग्राही जो निवासरत नहीं पाया जाता है, उनका आबंटन निरस्त किया जावे।
2. जो आबंटित हितग्राही निवासरत है, पर अब तक की मांग राशि जमा नहीं किये है। को 03 माह में बकाया राशि जमा कराई जावे अन्यथा की स्थिति में आबंटन निरस्त किया जावे।
3. आबंटित हितग्राही से भिन्न निवासरत पाये जाने पर पृथक से सूची तैयारकर आगामी बैठक में रखा जावे का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

उपरोक्तानुसार पात्र हितग्राहियों को आबंटन की सक्षम स्वीकृति हेतु प्रस्ताव कलेक्टर की समिति को प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।


सचिव


महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmohilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर- इन -काउंसिल की बैठक दिनांक 22.09.2017

प्रस्ताव क्रमांक-06

निकाय क्षेत्र के विभिन्न आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाओं में 31.03.2017 तक भवन निर्माण किये बगैर लीज नवीनीकरण एवं नामांतरण पर प्रतिबंध एवं भू-खण्ड का आबंटन निरस्त कर राजसात किये जाने के संबंध में विचारार्थ।

तत्कालीन विशेष क्षेत्र विकास प्रतिधकरण भिलाई दुर्ग द्वारा उत्तर एवं दक्षिण वसुंधरा नगर आवासीय योजना, विश्व बैंक आवासीय योजना, मानसरोवर आवासीय योजना, ट्रान्सपोर्ट नगर एवं निहारिका परिसर व्यवसायिक योजना में प्रथम आया प्रथम पाया के आधार पर भू-खण्ड आबंटित किये गये। विशेष कर विश्व बैंक आवासीय योजना में भू-खण्ड के आकार के अनुसार 15 एवं 20 वर्षीय किस्तों में भू-खण्ड प्रदाय किये गये। निर्धारित अवधि में सम्पूर्ण प्रब्याजी राशि जमाकर पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण किया जाना अनिवार्य था। इसके सहित उक्त समस्त योजनाओं में पंजीयन तिथि से 02 वर्ष के भीतर भवन (मकान) निर्माण अनिवार्य है इसका उल्लेख लीज-डीड में है। पूर्व निकाय नगर पालिका परिषद, भिलाई-चरौदा, के सामान्य सभा की बैठक दिनांक 30.03.2015 के प्रस्ताव संकल्प क्रमांक-08 में निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया।

1. समस्त भू-खण्ड धारक जिसकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा शेष है, सभी भवन निर्माण हेतु 02 वर्ष अर्थात् दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2017 तक अवधि अंतिम रूप से प्रदान की जाती है।
2. निर्धारित अवधि में भू-खण्ड धारक को भू-खण्ड विक्रय की अनुमति नहीं होगी।
3. निर्धारित अवधि में निर्माण न करने की स्थिति में लीज अवधि समाप्त हो चुकी हो अथवा शेष हो दोनों स्थिति में भू-खण्ड का आबंटन निरस्त कर निकाय के आधिपत्य में लेते हुए जमा राशि से सेवा शुल्क कटौती कर शेष राशि आबंटिती को वापस की जावेगी।

तत्संबंध में भू-खण्ड धारकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अवधि में आंशिक वृद्धि का अनुरोध किया गया है।

मेयर इन काँउंसिल की बैठक दिनांक 23.06.2017 के संकल्प क्रमांक 05 के अनुसार सभी प्रकार के योजनाओं में सम्मिलित आवासीय एवं व्यवसायिक भूखण्ड/भवन की जानकारी संलग्न कर पुनः मेयर इन काँउंसिल/सामान्य सभा की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत।

सर्वसम्मति से अनुशंसा की जाती है।

1. रिक्त भूखंड धारकों को 01 माह का समय आवेदक के स्वयं के शपथ पत्र के साथ आवेदन करने हेतु प्रदान किया जावे।
2. आवेदन/शपथ प्राप्त न होने पर पूर्व निर्णय अनुसार भूखंड राजसात कर राशि वापसी की कार्यवाही की जावे।
3. आवेदन/शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को निर्माण हेतु 06 माह की अवधि प्रदान की जावे। निर्धारित अवधि में भी निर्माण न होने पर पूर्व निर्णय अनुसार भूखंड राजसातकर राशि वापसी की कार्यवाही की जावे।
4. आवेदक हितग्राही को स्वयं के द्वारा 06 माह में निर्माण करने का एवं न करने की स्थिति में जमा राशि राजसात कर लिया जावे का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. निर्णय एवं कार्यवाही की सूचना सर्वसंबंधित हितग्राहियों को समाचार पत्र आदि के माध्यम से अंतिम सूचना के रूप में सूचित किया जावे।


सचिव


महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarपालिकabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर- इन -काउंसिल की बैठक दिनांक 22.09.2017

प्रस्ताव क्रमांक-07

अकुशल सफाई कामगार प्रदाय करने के लिये निविदा से प्राप्त न्यूनतम दर की स्वीकृति के संबंध में विचार एवं निर्णय।
निकाय क्षेत्रांतर्गत मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पत्र क्रं. एफ 4-11/2015/16 दिनांक 09.07.2015 द्वारा 106 अकुशल सफाई कामगार रखने की अनुमति दी गई है। एम आई सी के निर्णय दिनांक 23.06.2017 के संकल्प क्रमांक 03 द्वारा राशि 1,47,50,717 रु की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति व निविदा आमंत्रण की अनुमति दी गई है।

उपरोक्तानुसार श्रमिक प्रदाय करने के लिये प्रथम ई-निविदा सिस्टम टेण्डर नंबर 19609 में एक निविदा प्राप्त होने के कारण द्वितीय ई-निविदा सिस्टम टेण्डर 20263 आमंत्रित किया गया। निर्धारित अवधि में प्राप्त निविदाओं में बालाजी महिला जागृति समिति, से-01 भिलाई की प्राप्त दर 8.25 प्रतिशत अधिक न्यूनतम है। जिसकी स्वीकृति की अनुशंसा निविदा समिति की बैठक दिनांक 26.08.2017 निर्णय क्रं. 02 द्वारा की गई है। अतएव बालाजी महिला जागृति समिति, से-01 भिलाई की दर 8.25% अधिक (कलेक्टर दर से) एवं व्यय राशि रु 1,30,75,925.00 मात्र की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प -07

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्तानुसार ई-निविदा सिस्टम टेण्डर 20263 मेसर्स बाला जी महिला जागृति समिति सेक्टर-1 भिलाई की प्राप्त दर 8.25 प्रतिशत अधिक कलेक्टर दर से एवं व्यय राशि रूपय 1,30,75,925.00 रूपय मात्रा की वित्तीय स्वीकृति की परिषद की सामान्य सभा से सक्षम स्वीकृति की सर्वसम्मति से अनुशंसा की जाती है।

पूर्व निविदा की अवधि माह 30.09.2017 को समाप्त हो रही है। अतः कार्य की सुचारु रूप से संचालन के दृष्टिगत एवं सामान्य सभा की स्वीकृति की प्रत्याशा में आगामी 03 माह हेतु व्यय राशि रूपय 33,47,307.00 न्यूनतम दर एवं दिनांक 01.10.2017 से कार्य कराये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदाय किया जाता है।


सचिव


सचिव

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarपालिकाभिलाईचरौदा.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर- इन -काउंसिल की बैठक दिनांक 22.09.2017


प्रस्ताव क्रमांक-08


कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक प्रदाय करने के लिये निविदा से प्राप्त न्यूनतम दर की स्वीकृति के संबंध में विचार एवं निर्णय।
निकाय क्षेत्रांतर्गत मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पत्र क्रं. एफ 4-11/2015/16 दिनांक 09.07.2015 द्वारा 62 श्रमिक (कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक) रखने की अनुमति दी गई है। एम आई सी के निर्णय दिनांक 23.06.2017 के संकल्प क्रमांक 04 द्वारा राशि 94,60,386.00 रु की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति व निविदा आमंत्रण की अनुमति दी गई है।

उपरोक्तानुसार श्रमिक प्रदाय करने के लिये प्रथम ई-निविदा सिस्टम टेण्डर नंबर 19610 में एक निविदा प्राप्त होने के कारण द्वितीय ई-निविदा सिस्टम टेण्डर 20264 आमंत्रित किया गया। निर्धारित अवधि में प्राप्त निविदाओं में निर्मल कन्स्ट्रक्शन भिलाई की प्राप्त दर 8.46 प्रतिशत अधिक न्यूनतम है। जिसकी स्वीकृति की अनुशंसा निविदा समिति की बैठक दिनांक 26.08.2017 निर्णय क्रं. 01 द्वारा की गई है। अतएव निर्मल कन्स्ट्रक्शन भिलाई की दर 8.46% अधिक (कलेक्टर दर से) एवं व्यय राशि रु 84,00,708.00 मात्र की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प -08

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्तानुसार निर्मल कन्स्ट्रक्शन भिलाई की दर 8.46% अधिक (कलेक्टर दर से) एवं व्यय राशि रु 84,00,708.00 मात्र की वित्तीय स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।


सचिव


महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarपालिकabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर- इन -काउंसिल की बैठक दिनांक 22.09.2017

प्रस्ताव क्रमांक-09


UTDSSMT योजनांतर्गत स्वीकृत जल आवर्धन योजना के तहत ग्राम अमलेश्वर में निर्माणाधीन INTAKE WELL में विद्युत संयोजन बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत निकाय हेतु स्वीकृत पेयजल योजनांतर्गत निर्माणाधीन इन्टेकवेल में 200 H.P क्षमता के 03 नग वर्टिकल टरबाइन मोटर पंप स्थापित किया जाना है। इस इन्टेक वेल में 500KVA क्षमता के ट्रांसफार्मर एवं सबस्टेशन भी स्थापित किया जावेगा। अतएव विद्युत संयोजन के लिये कार्यालयीन पत्र क्र./ 3545/UIDSSMT/ न.पा.नि./2017, दिनांक 14/03/2017 के माध्यम से कार्यपालन अभियंता छ0ग0रा0वि0 कंपनी मर्या0 सुधार एवं संचार संभाग भिलाई को पत्र प्रेषित किया गया है।

उक्त पत्र के परिपालन में सी.एस.पी.डी.सी.एल. भिलाई से प्राप्त डिमाण्ड नोट क्र. -30000Z30/2270, दिनांक 24/08/2017 के अनुसार इनटेक वेल में नये सर्विस संयोजन हेतु कुल राशि 57,02286.00 रुपये मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम चरण में राशि 43,27,286.00 रुपये मात्र का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से R.A.O.C.S.P.D.C.L. Durg को किये जाने की अनुमति तथा शेष सेक्योरिटी डिपासिट डिमाण्ड राशि 13,75,000.00 रुपये सी.एस.पी.डी.सी.एल. दुर्ग के मांग अनुसार भुगतान किये जाने के अनुमति हेतु प्रकरण महापौर परिषद में विचारार्थ प्रस्तुत।

संकल्प -09

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उक्त पत्र के परिपालन में सी.एस. पी.डी.सी.एल. भिलाई से प्राप्त डिमाण्ड नोट क्र.-30000Z30/2270, दिनांक 24/08/2017 के अनुसार इनटेक वेल में नये सर्विस संयोजन हेतु कुल राशि 57,02286.00 रुपये मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम चरण में राशि 43,27,286.00 रुपये मात्र का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से R.A.O.C.S.P.D.C.L. Durg को किये जाने की अनुमति तथा शेष सेक्योरिटी डिपासिट डिमाण्ड राशि 13,75,000.00 रुपये सी.एस.पी.डी.सी.एल. दुर्ग के मांग अनुसार भुगतान किये जाने के स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।


सचिव


महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID: cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarपालिकabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

भेयर- इन -काउंसिल की बैठक दिनांक 22.09.2017

प्रस्ताव क्रमांक-10

अधोसंरचना मद अन्तर्गत जी.ई. रोड पुलिया से व्यवसायिक परिसर (Commercial Complex) तक आर.सी.सी. नाला निर्माण हेतु प्राप्त निविदा दर की स्वीकृति पर विचार एवं निर्णय।

संचालनालय के पत्र क्र./379 दिनांक - 10.01.2017 द्वारा उक्त कार्य कराए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। राशि रु. 33.14लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रण की MIC नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग (छ.ग.) के बैठक दिनांक -19.09.2017 के निर्णयक्र. 01 द्वारा प्रदान की गई। जिसके तहत ई-निविदा सिस्टम टेंडर नं. 21016 दिनांक - 22.08.2017 को आमंत्रित किया गया। ई-निविदा में M/S Pooja Construction, Padumnagar, Bhilai-03की प्राप्त दर 18.90% Below S.O.R. दर पर व्यय राशि रु. 26,87,654.00 एवं अतिरिक्त सुरक्षा निधि राशि रु. 2,94,946.00न्यूनतम है। जिसकी स्वीकृति की अनुशंसा निविदा एवं व्यव समिति की बैठक दिनांक -19.09.2017 के निर्णय क्र. -01 द्वारा की गई है।

अतएव M/S Pooja Construction, Padumnagar, Bhilai-03की प्रस्तुत निविदा दर 18.90% Below S.O.R.एवं कार्य पर होने वाले व्यय रु. 26,87,654.00 स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

सकल्य -10

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्तानुसार M/S Pooja Construction, Padumnagar, Bhilai-03की प्रस्तुत निविदा दर 18.90% Below S.O.R.एवं कार्य पर होने वाले राशि 26,87,654.00 रूपय की वित्तीय स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।




महापीर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarपालिकabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

भेयर- इन -काउंसिल की बैठक दिनांक 22.09.2017

प्रस्ताव क्रमांक-11

ट्रान्सपोर्ट नगर विकास योजना के संबंध में प्रकरण एम.आई.सी.में प्रस्तुत किए जाने हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण के पत्र क्र./3040दिनांक - 07.11.2015 द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर फेस-1, फेस-2 हेतु कुल रूपये 4,956.32 लाख की सैद्धान्तिकस्वीकृति प्राप्त हुई।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक - 08.11.2015 को राशि 50.00 करोड़ की घोषणा की गई। घोषणा के अनुरूप निकाय द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर फेस-I एवं फेस-II की योजना हेतु वास्तुविद चयन कर योजना तैयार किया गया।

वास्तुविद द्वारा फेस-I रू. 2,685.66 लाख एवं फेस-II रू. 2,434.20 लाख राशि का विस्तृत योजना तैयार किया गया, जिसमें अभिन्यास के स्वीकृति हेतु पत्र क्र.- 299 दिनांक - 15.07.2016 द्वारा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग को प्रेषित किया गया। संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर प्रेषित किया गया। प्रभारी संचालक से व्यक्तिगत संपर्क किया, जिसमें प्रस्तावित फेस-II योजना में समाहित भूखण्ड का स्वामित्व की मांग की गई।

प्रस्तावित फेस-II योजना में प.ह. हथखोज के कुल खसरा 13 एवं प.ह. छावनी के कुल खसरा 12 समाहित है, जिसका हस्तांतरण वर्ष 1986 में उद्योग विभाग द्वारा तत्समय विघटित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भिलाई को किया गया। जिसका अद्यतन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से दिनांक - 26.11.2016 को दावा आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित तिथि में एक भी दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। ग्राम - हथखोज, प.ह.नं. 13 द्वारा खसरा नं. 349/2, 351/1, 352, 353, 354, 354/1, 355/1, 356, 357, 358/3, 359/1, 360/1, 361/1 का पांचशाला रकबा प्राप्त हो गया है, किन्तु ग्राम - छावनी पटवारी हल्का अन्तर्गत 3837, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850 का पांचशाला, खसरा एवं रकबा प्राप्त नहीं हुआ है।

ट्रान्सपोर्ट नगर फेस-I एवं फेस -II की तकनीकी स्वीकृति हेतु कार्यालयीन पत्र क्र./1054 दिनांक - 10.07.2017 द्वारा मुख्य अभियंता, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर (छ.ग.) को प्रेषित की गई।

प्रभारी अधिकारी, राज्य प्रवर्तित योजना, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नया रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र./09/सूडा/2017-18/3272 दिनांक - 10.08.2017 के स्मरण पत्र द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर निर्माण फेस-I हेतु राशि 3,884.80 लाख रू. एवं फेस-II हेतु राशि 1,071.52 लाख रू., इस प्रकार कुल राशि 4,956.32 लाख रू. की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी करते हुए निम्नानुसार दस्तावेजों की प्रतियुक्ति हेतु लेख किया गया था :-

1. तकनीकी स्वीकृति युक्त प्रारूप।

2. तकनीकी प्रतिवेदन।

4. Town & Country Planning से अनुमोदित अभिन्यास।
5. परिषद् संकल्प 70% ऋण व्यवस्था संबंधी प्रमाण पत्र।
6. CA से अभिप्रमाणित आय-व्यय पत्रक विगत 03 वर्षों का।
7. Repayent Shedule

उपरोक्तानुसार उल्लेखित कार्यों में कंडिका क्र. 01 एवं 02 शासन को प्रेषित की गई, कंडिका क्र. 03 की कार्यवाही निकाय द्वारा पृथक से की जा रही है, तदोपरांत कंडिका क्र. 04 की कार्यवाही Town & Country Planning से की जावेगी, कंडिका क्र. 06 एवं 07 पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

कंडिका क्र. 05 योजनान्तर्गत 70: ऋण हेतु मांग की गई है, जिसमें निकाय द्वारा फेस -II अन्तर्गत विकसति भूखण्डों से ऋण की अदायकी की जावेगी।

उपरोक्तानुसार प्रकरण महापौर परिषद् के समक्षपरिषद् संकल्प 70% ऋण व्यवस्था की अनुशंसा हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

संकल्प -11

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई कंडिका क्र.- 05 योजनान्तर्गत 70% ऋण हेतु मांग की गई है, जिसमें निकाय द्वारा फेस -II अन्तर्गत विकसति भूखण्डों से ऋण की अदायकी की जावेगी।

उपरोक्तानुसार प्रकरण महापौर परिषद् के द्वारा ट्रांसपोर्टनगर विकास योजना हेतु शासन से विशिष्ट प्रयोजनार्थ से ऋण की व्यवस्था की अनुशंसा की गई प्रकरण सक्षम स्वीकृति हेतु परिषद को अनुशंसित किया गया।


सचिव


महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID: cmobhlaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

भेयर- इन -काउंसिल की बैठक दिनांक 22.09.2017

प्रस्ताव क्रमांक-12


निकाय के क्षेत्रांतर्गत निर्मित मुख्यमंत्री स्वालंबन एवं दिनदयाल उपाध्याय के योजना के तहत रिक्त दुकानों के आबंटन के संबंध में।

निकाय क्षेत्रांतर्गत, मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना, शासकीय लकड़ी टाल के पास भिलाई-03, व पंडित दिनदयाल उपाध्याय योजना शासकीय लकड़ी टाल के पास भिलाई-03, एवं सिरसा चौक, व मु.स्वा.यो. दादर रोड चरौदा, दादर रोड सब्जी मंडी के पास, चरौदा बस्ती, उमदा, देवबलौदा एवं गतवा तालाब पार भिलाई-03 में निर्मित दुकान है। शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन पात्रताधारी हितग्राहियों को आबंटित किया जाना है। संलग्न सूची अनुसार शासकीय लकड़ी टाल के पास भिलाई-03, सिरसा चौक दादर रोड चरौदा, व दादर रोड सब्जी मंडी के पास चरौदा व चरौदा बस्ती उमदा, देवबलौदा एवं गतवा तालाब पार भिलाई-03, के अधिकांश दुकान आबंटित किये जा चुके हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	योजना का नाम	स्थान	निर्मित दुकानों की संख्या	आबंटित दुकानों की संख्या	रिक्त दुकानों की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
01	मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना	शासकीय लकड़ी टाल के पास भिलाई-03	24	24	निरंक	
02	मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना	दादर रोड चरौदा	20	17	03 नग	
03	मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना	दादर रोड सब्जी मंडी के पास चरौदा	5	5	निरंक	
04	मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना	चरौदा बस्ती	36	19	17	
05	मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना	उमदा	15	15	निरंक	
06	मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना	देवबलौदा	20	4	14	02 नग दुकान में सुलभ निर्माण
07	मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना	गतवा तालाब पार, भिलाई-03	30	4	26	
योग			150	88	60	
01	पंडित दिनदयाल उपाध्याय योजना	शासकीय लकड़ी टाल के पास भिलाई-03	15	15	निरंक	पंडित दिनदयाल उपाध्याय योजना
02	पंडित दिनदयाल उपाध्याय योजना	सिरसा चौक	10	10	निरंक	पंडित दिनदयाल उपाध्याय योजना
योग			25	25	निरंक	

संकल्प -12

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई रिक्त दुकानों को नियमानुसार आबंटन पात्रता शर्तों की अनुसार पुनः विज्ञापन प्रकाशन कर आबंटन का कार्यवाही करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।


सचिव


महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarपालिकabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

भेयर- इन -काउंसिल की बैठक दिनांक 22.09.2017

प्रस्ताव क्रमांक-13

मिनी/इंडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराए जाने के लिए चयनित स्थलों का विवरण तैयार कर प्रेषित किए जाने पर विचार।

अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. उपसंभाग क्र. 03, दुर्ग के पत्र क्र./1036/शिल्प, दुर्ग दिनांक -02.05.2017 के तहत "बजट वर्ष 20147-18 मद क्र. 1224 में सम्मिलित कार्य मिनी/इंडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराए जाने" की मांग की गई है। भिलाई-03 में अर्द्ध निर्मित स्टेडियम में बसे हुए वार्ड क्र. 13 के कुंदरापारा के 127 हितग्राहियों का प्रधानमंत्री आवास योजना में व्यवस्थापन किया जाना है। इसमें भवन निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, अतएव लगभग एक से ढेड़ वर्ष समय लगेगा।

अतएव उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सलाहकार समिति की बैठक दिनांक -19.09.2017 को समिति के सदस्यों द्वारा निम्नानुसार स्थलों का चयन किया गया :-

1. वार्ड क्र. 01 जरवाय शा. भूमि,
2. वार्ड क्र. 07 विश्व बैंक कॉलोनी शा. भूमि,
3. वार्ड क्र. 14 वाम्बे आवास योजना शा. भूमि,

अतएव चयनित स्थलों की स्वीकृति हेतु प्रकरण महापौर परिषद के समक्ष प्रेषित किए जाने विचारार्थ प्रस्तुत।

संकल्प -13

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्तानुसार चयनित स्थलों में से उपयुक्त स्थल चयन हेतु परिषद की सामान्य सभा में रखे जाने की अनुमति सर्वसम्मति से की गई।


सचिव


महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarपालिकabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

भेयर- इन -काउंसिल की बैठक दिनांक 22.09.2017

प्रस्ताव क्रमांक-14

नगर पालिक निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न दुकानों/कार्यालय इत्यादि हेतु आरक्षण नियम।

नगर पालिक निगम क्षेत्रान्तर्गत भिलाई-3 व्यासायिक परिसर का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री पालिका बाजार अन्तर्गत दिये गये निर्देशानुसार दुकानों का आरक्षण छ.ग. नगर पालिका (अचल संपत्ति अंतरण) नियम 1994 के अनुसार किया जाना है। निकाय वर्ष 2011 जनगणनानुसार संलग्न पत्रक में विभिन्न श्रेणी के लिये दुकानों का आरक्षण किया गया है।

उपरोक्तानुसार वर्ष 2011 जनगणना अनुसार दुकानों का 1 से 100 तक किया गया प्रकरण महापौर परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प -14

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्तानुसार वर्ष 2011 जनगणना पर अचल संपत्ति अंतरण नियम 1994 के प्रावधानित नियमों एवं उपबंधों अनुसार निम्न संलग्न आरक्षण सूची अनुसार किये जाने की अनुशंसा करते हुये सक्षम स्वीकृति हेतु सामान्य सभा से अनुमोदन हेतु सर्वसम्मति से अनुशंसित किया गया।


सचिव


महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-वरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

भेयर- इन -काउंसिल की बैठक दिनांक 22.09.2017

प्रस्ताव क्रमांक-15

भिलाई-3 व्यावसायिक परिसर में निर्मित दुकानों, कार्यालय/रेस्टोरेंट के विक्रय हेतु आफसेट प्राईज व नियम एवं शर्तों का अनुमोदन/अनुमति बाबत।

व्यावसायिक परिसर निर्माण हेतु विशिष्ट प्रयोजार्थ मद (ऋण एवं अनुदान) से राशि 894.12 लाख रू. की नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र./1269, दिनांक - 16.03.2010 द्वारा प्रदान की गई। आदेश क्र. - 4556/3384 /18/2011 रायपुर, दिनांक - 28.06.2011 द्वारा राशि 894.12 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। तदोपरांत कार्य की आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई।

निविदा शर्तों का अनुमोदनोपरांत ई-निविदा आमंत्रित की गई, प्रथम आमंत्रित निविदा में दरें अधिक प्राप्त होने पर पुनः ई-निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पत्र क्र./3984/दिनांक - 13.12.2012 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

व्यवसायिक परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। बाह्य विद्युतीकरण हेतु छ.ग. राज्य विद्युत मंडल से डिमाण्ड राशि प्राप्त नहीं हुआ है।

मुख्यमंत्री पालिका बाजार के दिशा-निर्देशानुसार भिलाई-03 व्यवसायिक परिसर में निर्मित दुकानें/कार्यालय हेतु दरों का आंकलन कर नियम एवं शर्तों का अनुशंसा अनुमोदन हेतु प्रकरण महापौर परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प -15

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्तानुसार मुख्यमंत्री पालिका बाजार के दिशा-निर्देशानुसार भिलाई-03 व्यवसायिक परिसर में निर्मित दुकानें/कार्यालय हेतु दरों का एवं नियम शर्तों की स्वीकृति हेतु सामान्य सभा में रखे जाने की अनुशंसा सर्वसम्मति से की जाती है।


सचिव


महापौर